

अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs)

अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) के अधिकारों और कल्याण के लिए भारतीय संविधान ने विशिष्ट प्रावधान किए हैं। इन वर्गों का समाज में ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें विशेष सुरक्षा, अधिकार और कल्याण योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई। भारतीय संविधान में इन वर्गों के हितों की रक्षा और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष नीति और प्रावधान किए गए हैं।

संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रावधान

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा (अनुच्छेद 341 और 342)

- **अनुच्छेद 341:** अनुसूचित जाति की परिभाषा। यह राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची के अनुसार निर्धारित की जाती है, जिसमें विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में पहचाना जाता है।
- **अनुच्छेद 342:** अनुसूचित जनजाति की परिभाषा। जैसे अनुसूचित जाति, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची में जनजातियों की पहचान की जाती है।

2. आरक्षण का प्रावधान (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46)

- संविधान के **अनुच्छेद 15(4)** और **16(4)** में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 46:** राज्य को यह निर्देशित करता है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष कदम उठाएगा और उनका शोषण करने से रोकेगा।

3. संसद और राज्य विधानमंडलों में आरक्षण (अनुच्छेद 81, 170, 332)

- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटें दी जाती हैं, ताकि उनकी आवाज प्रभावी रूप से सुनी जा सके।

4. विशेष अवसरों के लिए वयस्क शिक्षा (अनुच्छेद 45 और 46)

- **अनुच्छेद 45** के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं।
- **अनुच्छेद 46** में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा में सुधार के प्रयासों को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

5. एससी/एसटी के मामलों में विशेष अदालतें (अनुच्छेद 338 और 338A)

- **अनुच्छेद 338:** राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करता है।
- **अनुच्छेद 338A:** अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष आयोग की स्थापना।

6. वन अधिकारों का संरक्षण (आधिकारिक कानून और न्यायिक प्रावधान)

- **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि वे अपनी प्राकृतिक जीवनशैली और संसाधनों को सुरक्षित रख सकें।

संविधानिक नीति की मुख्य दिशा-निर्देश

1. सामाजिक और शैक्षिक उत्थान

संविधान का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए राज्य को विशेष कदम उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह सुनिश्चित किया

गया है कि इन वर्गों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के सभी लाभों से वंचित न रहें।

2. आरक्षण नीति

संविधान में इन वर्गों के लिए आरक्षण की नीति एक महत्वपूर्ण उपाय है, जो उन्हें शिक्षा, नौकरी और सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करता है। यह आरक्षण उन्हें शैक्षिक और सामाजिक समानता की ओर बढ़ने में मदद करता है और उनकी आवाज को सरकारी नीतियों में प्रभावी बनाता है।

3. सामाजिक न्याय और समानता

संविधान का **अनुच्छेद 17** अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है, ताकि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से मुख्यधारा में आ सकें।

अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य को निर्देशित करता है।

4. शोषण के खिलाफ सुरक्षा

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शोषण को रोकने के लिए संविधान में विशेष सुरक्षा प्रावधान हैं।

अत्याचारों और अपराधों (अनुसूचित जाति/जनजाति) अधिनियम, 1989 के तहत ऐसे अपराधों के लिए विशेष सजा और कानून बनाए गए हैं।

5. राजनीतिक भागीदारी का प्रोत्साहन

संविधान के अनुसार, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटें दी जाती हैं, ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस तरह से, उन्हें अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए प्रतिनिधित्व मिलता है।

संविधानिक नीति के लाभ

1. सामाजिक समानता में वृद्धि:

आरक्षण और विशेष संरक्षण के कारण अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा, रोजगार, और राजनीतिक भागीदारी में अवसर मिलते हैं, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं।

2. आर्थिक सशक्तिकरण:

इन वर्गों को सरकारी योजनाओं और अवसरों तक पहुँचने से आर्थिक सशक्तिकरण मिलता है। विशेष रूप से आरक्षित नौकरियों और अवसरों के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

3. शैक्षिक सुधार:

शैक्षिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनसे उनके लिए शिक्षा तक पहुँच आसान हुई है।

4. सामाजिक सुरक्षा:

संविधान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को समाज में उत्पीड़न, भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों की पेशकश की है।

संविधानिक नीति की आलोचना

1. आरक्षण से असमानता बढ़ सकती है:

कुछ आलोचकों का मानना है कि आरक्षण नीति के कारण अन्य वर्गों के लिए अवसर कम हो सकते हैं और समाज में असमानता बढ़ सकती है।

2. प्रभावी कार्यान्वयन में कमी:

राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन न होने के कारण, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सुनिश्चित लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

3. सामाजिक बुराई का निराकरण नहीं हुआ:

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, अभी भी समाज में उनके प्रति भेदभाव और असमानता बनी हुई है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विस्तृत और मजबूत प्रावधान किए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान, जैसे आरक्षण, शैक्षिक सुधार, और सामाजिक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है। हालांकि, कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं, फिर भी यह नीति अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।